शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 3, pp (225-229), Month: Sep. 2018

भारतीय ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण

डॉ. शान्ती स्वरूप
एसोसिएट प्रोफ़ेसर समाज शास्त्र विभाग
एस.एम.कॉलेज, चन्दौसी, सम्भल
ईमेल : shantiswaroopsmc@gmail.com

साराशं

प्रकृति ने महिलाओं को शारीरिक रूप से पुरूषों की तुलना में ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करके श्रृष्टि को जन्म देने जैसा मजबूत कार्य सौपा है। परन्तु आज वैश्वीकरण के युग में परिस्थितियां बदल चुकी है। आज का समाज ये समझ चुका है कि विकास के कार्य स्त्री की सहभागिता के बिना किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। स्त्रियों को सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व देकर उन्हें अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। लैंगिक असमानता, दहेज, सामाजिक मान्यता एवं उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुछ पहलुओं की दिशा में प्रयास करके ही महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है। महिला सबलीकरण आधुनिक जीवन में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है। समाज के रवैये में परिवर्तन लाकर महिलाओं के विवेक, सामर्थ्य एवं योग्यताओं को मिलने वाली चुनौतियों के बीच उन्हें प्रोत्साहित करना है।

मुख्य बिन्दु

महिला सशक्तिकरण, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है शिक्षा और स्वतंत्रता को सम्मिलित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के अधिकार से है। आज आवश्यकता इसकी है कि महिलाओं में आत्मशक्ति के बारे में आत्मचेतना जागृत की जाए, जिससे महिलाओं का सार्वभौमिक विकास होगा। एक सशक्त महिला न केवल अपने लिए बल्कि समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए भी उपयोगी साबित होगी।

प्राचीन काल से ही दुनिया भर में महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा निम्न स्थान दिया जाता रहा है। परन्तु शिक्षा और औद्यागिक विकास के साथ–साथ विकसित देशों में महिलाओं के प्रति सोच परिवर्तन आया और नारी समाज को पुरूष के बराबर मान–सम्मान और न्याय प्राप्त होने लगा, उन्हें पूरी स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं बराबरी के अधिकार प्राप्त है कोई भी सामाजिक नियम महिलाओं और पुरूषों में भेदभाव नही करता।

भारत में स्वतंत्रता के बाद महिला कल्याण के लिए एवं 90 के दशक के बाद से ही महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी व गैर–सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहभागिता, निर्णय क्षमता विकसित करने, कानून की जानकारी देने आदि कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता हेतु उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है, यह अत्यन्त ही सफल साबित हुआ है। अब केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्कता है। इसके लिए पुरुषों को अपनी पंरपरागत सोच में परिवर्तन लाना होगा। हमारे देश की स्थिति अभी भी पृथक है यद्यपि कानूनी रूप से महिला एवं पुरूषों समान अधिकार मिल गये हैं परन्तु सामाजिक ताने–बाने में आज भी महिलाओं का स्थान दोयम दर्जे का है। हमारा समाज अपनी परंपराओं को तोड़ने का तैयार नहीं है जो कुछ बदलाव आ भी रहा है उसकी गति बहुत धीमी है शिक्षित पुरूष भी अपने स्वार्थ के कारण अपनी सोच को बदलने में रूचि नहीं लेता, उसे अपनी प्राथमिकता को छोड़ना आत्मघाती प्रतीत होता है।

इक्कीसवीं सदी में महिला बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। सामाजिक वर्ग के रूप में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें युवा स्त्रियां भारत के सामाजिक बदलाव में बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं बशर्ते हम उसके लिए तैयार हो। स्त्रियों को लेकर बुनियादी अवधारणाओं में बदलाव लाए बगैर काम चलेगा नहीं, पर यह बदलाव सरकार के करने से नहीं आएगा, लेकिन सरकार की इसमें भूमिका अवश्य है। अब केवल स्त्रियों के कल्याण की बात करने का वक्त नहीं बचा। अब उनकी भागीदारी और अधिकारों की बात होनी चाहिए। भारत सरकार ने सन् 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में घोषित किया था। उसी साल 'राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति' लागू हुई थी। अब इस नीति को नया मोड़ देने का समय आया है। इसमें युवा वर्ग की महिलाओं की भूमिका को खासतौर से रेखांकित करने की जरूरत है। पिछले पन्द्रह साल में दुनिया बहुत बदली है। बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत के तकनीकी–आर्थिक बदलाव के समानांतर जो सबसे बड़ी घटना गुजरी है वह है लड़कियों की जीवन में बढ़ती भागीदारी। जब हम ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं तब हमें ध्यान रखना होगा कि उनके सशक्तीकरण की राह भी आगे पढ़ने, आगे बढ़ने और राष्ट्रीय विकास में योगदान की दिशा में शहरी लड़कियों से भी ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए घर से निकलना ही मुश्किल है, भले ही उसके घर वाले उसे पढ़ाना चाहें। बावजूद कठिनाइयों से भारतीय लड़कियों के हौंसलों में कमी नहीं है। वे भी घर से बाहर निकल कर रास्ते खोजने निकल पड़ी हैं। सामाजिक जीवन में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज्यादा बड़ी है। दश्ष का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास स्त्रियों के विकास पर निर्भर करता है। जब एक महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न केवल उसका परिवार, गांव बल्कि देष भी मजबूत बनता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 83.3 करोड़ आबादी गांवों में रहती है। इनमें लगभग 40.51 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें एक तिहाई युवा महिलाएं हैं। अवसरों की कमी, कौषल न होने और अक्सर पैसे की कमी से इनकी उत्पादन क्षमता का पूरा लाभ देश को नहीं मिल पाता है। स्त्रियों के सशक्तीकरण

के मोटे तौर पर संकेतक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–पारिवारिक स्थिति और रोजगार से जुड़े हैं। भारत में इस वक्त किशोरों और युवाओं की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। सामान्यतः हम 13 से 19 वर्ष के व्यक्ति को किशोर और 16 से 24 वर्ष को युवा में शामिल करते हैं। भारत में इस समय उपरोक्त आयु वर्ग में 21 करोड़ से ज्यादा किशोर और लगभग इतनी ही युवा आबादी है। इस आबादी में आधी के आसपास स्त्रियां हैं। और इन स्त्रियों में 60 फीसदी ग्रामीण है, जिसमें तेजी से बदलाव आ रहा है।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल लैंगिक अनुपात 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियों का है। ग्रामीण अनुपात 949 का और शहरी अनुपात 923 का है। देश के अलग–अलग इलाकों में यह अलग–अलग है, पर सबसे खराब स्थिति हरियाणा की है जहां नवीनतम आंकड़ों के अनुसर छह साल से कम की उम्र के बच्चों का लैंगिक अनुपात 843 का है। पंजाब में 846, जम्मू–कश्मीर में 862, राजस्थान में 888 और उत्तर प्रदेश में 902 है। लैंगिक अनुपात बताता है कि समाज स्त्रियों को किस रूप में देखता है। भारत में 0–6 साल वर्ग में 1000 लड़कों के बीच लिंग अनुपात में लड़कियों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति 1961 से लगातार देखी जा रही है। वर्ष 1991 में 945 संख्या के 2001 में 927 पहुंचने और 2011 में इस संख्या के 918 पहुंचने पर सरकार ने इसे सुधारने की कोशिशें शुरू की हैं। लिंग अनुपात में गिरावट सीधे तौर पर जन्म से पूर्व लिंग की पहचान करने वाली तकनीक के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है। बहरहाल हाल में सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की और जिसे खराब लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया। देश की लगभग 12 करोड़ युवा स्त्रियां यदि सही समय पर उत्पादक कार्यों में लग सकें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव लाया जा सकता है। इन ग्रामीण महिलाओं को शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है। सामान्यतः जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, स्त्रियां मेहनत के छोटे कामकाज जैसे खेती और ऐसे ही दूसरे कामों से हटती जाती हैं। पर जैसे–जैसे शिक्षा का प्रसार होता है और अर्थव्यवस्थाओं में गति आती है, कामकाजी तबके में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। घर से बाहर निकलकर काम पर जाना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। महिलाओं का रोजगार में शामिल होना उनके सशक्तीकरण के लिए जरूरी है, साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास में भी उसकी भूमिका है। पढ़ी–लिखी ग्रामीण स्त्रियों का यह प्रतिशत और भी अधिक है। काम करने की इच्छुक हर प्रकार की स्त्रियों को जोड़ा जाए तो देश में 78 फीसदी स्त्रियों की कामकाज में हिस्सेदारी हो सकती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि स्त्रियां ज्यादातर घर के आसपास काम चाहती हैं। बहुत सी स्त्रियां इसलिए काम नहीं करतीं, क्योंकि घर या गांव के पास काम नहीं मिलता। इसके साथ अवसरों की बात भी है। सन् 1987 में 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' शुरू होने के बाद शिक्षकों का कोटा तय होने से महिलाओं के लिए अध्यापन का क्षेत्र खेती के बाद दूसरे नम्बर पर आ गया है। गांवों की पढ़ी–लिखी लड़कियों के लिए एक दरवाजा खुला। इधर कौशल भारत, मेक इन इंडिया, महिलाओं के लिए शिक्षा और कुछ नौकरियों में कोटा या प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति ने युवा महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया है। महिलाओं के रोजगार में सबसे बड़ी बाधा

है प्रवास। यानी दूसरे गांव, शहर या देश में जाकर काम करना आसान नहीं है। सामान्यतः राजनीति में स्त्रियों की भूमिका बहुत सीमित है। सामान्यतः संसद और विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या 10 फीसदी से ऊपर नहीं जाती। पर पंचायती राज ने एक रास्ता खोला है। 24 अप्रैल, 1993 को भारत में संविधान के 73वें संशोधन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल कराया गया। यह फैसला ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम था, पर उतना ही महत्वपूर्ण महिलाओं की भागीदारी के विचार से था। इसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी। यह कदम क्रांतिकारी साबित हुआ। हालांकि इस कदम की शुरू में आलोचना की गई। आज भी तमाम महिला पदाधिकारियों के नाम से उनके पति, पिता या पुत्र काम कर रहे हैं, पर ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने सफलता और कुशलता के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। पंचायती राज के कारण गांवों में महिलाओं की भूमिका में युगांतरकारी बदलाव आया है। अब इस आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में 50 फीसदी आरक्षण शुरू हो चुका है, पर हाल में केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्री ने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने नई महिला नीति का जो दस्तावेज जारी किया है उसका एक लक्ष्य महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करना भी है ताकि उनके लिए ऐसा सामाजिक–आर्थिक वातावरण तैयार हो, जिसमें वे अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इस अधिकार को हासिल करने में युवा महिलाओं की भूमिका ज्यादा बड़ी है।

स्त्रियों का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व दक्षता में अभिवृद्वि, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति को हासिल करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। स्त्रियों का सशक्तिकरण उन्हें क्षितिज दिखाने का प्रयास है जिसमें वे नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नई तरीके से देखेगीं। महिला सबलीकरण आधुनिक जीवन में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है। समाज के रवैये में बुनियादी परिवर्तन लाकर महिलाओं के विवेक, सामर्थ्य एवं योग्यताओं को मिलने वाली चुनौतियों के बीच उन्हें प्रोत्साहित करना है। अपनी क्षमताओं को पहचान कर और उन्हें काम में लाकर व्यवहार में परिणित करना है। जिससे वे समाज के उत्थान में योगदान दे सकती है। महिलाओं का सशक्तीकरण एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि हाशिये के लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके और सत्ता संरचना में भागीदार बनाया जा सके।

संदर्भ

1. ब्होरा आशारानी : भारतीय नारी : दशा और दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली वर्ष 1983
2. श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव, भारतीय समाज की संरचना, साहित्य भण्डार 50, चाहचन्द, इलाहाबाद, 1989
3. राम आहूजा : सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2000

4. डॉ0 एम0एम0 लवानिया, शशी के. जैन : भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र कॉलेज बुक डिपों जयपुर 2005
5. संस्करण 2010–11 महिला सशक्तिकरण, ईयरबुक 'ब' इलाहाबाद मंथन प्रकाशन
6. आनन्द सिंह कोडान बिमल एवं नरेन्द्र सिंह, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, कुरुक्षेत्र, जून, 2010